



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



CIRCULAR

PFRDA/2026/23/REG-CRA/01

29 April 2026

To

All Central Recordkeeping Agencies (CRAs) and other Stakeholders

Subject: Clarification on Charge Structure of CRAs under the pension schemes regulated / administered by the PFRDA

1. With reference to Circular No. PFRDA/2025/06/REG-CRA/01 dated 15 September 2025 on Guidelines on Price Discovery Process for the charges of CRAs for the services rendered by them to the subscribers, the following may be noted.
2. Annual Maintenance Charge (AMC) under NPS:
 - a) The AMC for Tier II account shall be aligned with the AMC applicable to Tier I account under the respective sector (Government / Private Sector), except that no AMC shall be levied in respect of a Tier II account where the corpus in such account is up to ₹1,000, as at the end of a quarter.
 - b) Each pension scheme maintained within a PRAN shall be treated as a separate account (in case of both Tier I and Tier II), and each such account shall attract AMC separately, as applicable.
 - c) In respect of dormant account, the AMC shall be levied at 10% of the applicable AMC charged by CRA to such account (Tier I / Tier II).

Note:

 - i) A 'dormant account' shall mean an account where no contribution is received for four (4) consecutive quarters, and which is flagged as 'dormant' during the first week of the subsequent quarter in the CRA system. The reduced AMC shall apply for such subsequent quarter and shall continue till the time the account remains dormant. Upon receipt of contribution during a quarter, the account shall be flagged as 'active' during the first week of the subsequent quarter.
 - ii) CRAs shall ensure that the flagging of dormant/active account based on the above criteria is made effective from 1st July 2026.
 - d) For determining the applicable AMC, the corpus available in the account as at the end of the quarter shall be considered.



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



3. The PRAN Opening Charge shall apply only at the time of initial PRAN generation. For activation/opening of each account (Tier I/Tier II) within an existing PRAN, the charge shall be NIL.
4. AMC for accounts with NIL balance under APY & NPS-Lite shall be NIL.
5. The applicable charges shall be collected by CRAs at the end of each quarter by way of invoice raised on the concerned entity (in respect of accounts where the employer bears CRA charges), or through unit deduction from the subscriber's account, as applicable.
6. All the other stipulations as contained in the referred Circular dated 15 September 2025 shall remain in full force and effect.

Yours Sincerely,

Digitally signed
by GURMINDER
KAUR
Date: 2026.04.29
16:15:43 +05'30'

(General Manager)



परिपत्र

पीएफआरडीए/2026/23/आरईजी-सीआरए/01

29 अप्रैल 2026

सेवा में,

सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) एवं अन्य हितधारक

विषय: पीएफआरडीए द्वारा विनियमित / प्रशासित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सीआरए शुल्क संरचना के संबंध में स्पष्टीकरण

1. सीआरए द्वारा अभिदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधी शुल्क की मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया से संबंधित दिनांक 15 सितंबर 2025 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2025/06/आरईजी-सीआरए/01 के संदर्भ में निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए।

2. एनपीएस के अंतर्गत वार्षिक अनुरक्षण शुल्क (एएमसी):

क) टीयर II खाते के संबंध में एएमसी, संबंधित क्षेत्र (सरकारी / निजी क्षेत्र) के अंतर्गत टीयर I खाते पर लागू एएमसी के अनुरूप होगा, तथापि ऐसे टीयर II खाते जिनका कोष राशि संबंधित तिमाही के अंत में ₹1,000 तक है, उन पर किसी प्रकार का एएमसी नहीं लगाया जाएगा।

ख) प्रत्येक पीआरएएन के अंतर्गत संचालित प्रत्येक पेंशन योजना को (टीयर I तथा टीयर II दोनों के मामले में) एक पृथक खाता माना जाएगा, और प्रत्येक ऐसे खाते पर पृथक रूप से एएमसी प्रभारित होगी।

ग) निष्क्रिय खाते के संबंध में, ऐसे खाते (टीयर I / टीयर II) पर लागू एएमसी का 10% ही सीआरए द्वारा वसूल किया जाएगा।

टिप्पणी:

i) 'निष्क्रिय खाता' से आशय ऐसे खाते से है जिसमें लगातार चार (4) तिमाहियों तक कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ हो, और जिसे अगली तिमाही के प्रथम सप्ताह के दौरान सीआरए



प्रणाली में 'निष्क्रिय' के रूप में चिह्नित किया गया हो। ऐसे खाते पर कम की गई एमएसी अगली तिमाही के लिए लागू होगी तथा खाते के निष्क्रिय रहने तक जारी रहेगी। किसी तिमाही के दौरान अंशदान प्राप्त होने पर, अगली तिमाही के पहले सप्ताह में खाते को 'सक्रिय' (active) के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

ii) सीआरए यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त मानदंडों के आधार पर निष्क्रिय/सक्रिय खाते का निर्धारण 1 जुलाई 2026 से प्रभावी किया जाए।

घ) लागू एमएसी का निर्धारण करने हेतु संबंधित तिमाही के अंत में खाते में उपलब्ध कोष राशि को आधार माना जाएगा।

- पीआरएएन खोलने का शुल्क केवल प्रारंभिक पीआरएएन सृजित किए जाने के समय ही लागू होगा। किसी मौजूदा पीआरएएन के अंतर्गत प्रत्येक खाते (टियर I / टियर II) को सक्रिय किए जाने/खोले जाने पर शुल्क शून्य होगा।
- एपीवाई एवं एनपीएस-लाइट के अंतर्गत शून्य राशि वाले खातों के संबंध में एमएसी शून्य होगा।
- लागू शुल्क, सीआरए द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित संस्था पर जारी किए गए चालान के माध्यम से (उन खातों के संबंध में जहाँ नियोक्ता सीआरए शुल्क वहन करता है), अथवा अभिदाता के खाते से यूनिट कटौती के माध्यम से, जैसा भी लागू हो, वसूल किए जाएंगे।
- दिनांक 15 सितंबर 2025 के उक्त परिपत्र में निहित अन्य सभी प्रावधान पूर्ण रूप से यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

GURMINDER KAUR
Digitally signed by
GURMINDER KAUR
Date: 2026.04.29
16:16:00 +05'30'

(महाप्रबंधक)